CPSE के लिये संशोधित लाभांश दिशानिर्देश

[स्रोत: द हिंदू]

हाल ही में, [निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM)] **ने** [केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE)] के लिये संशोधित दिशानिर्देश पेश किये हैं, जिसमें [कर के बाद लाभ (PAT)] **का 30% या निवल मूल्य का 4%,** जो भी अधिक हो, **का न्यूनतम वार्षिक लाभांश भुगतान** अनिवार्य किया गया है।

- इससे पहले, **2016 के दिशानिर्देशों** में यह निर्धारित किया गया था कि लाभांश भुगतान **कर के बाद लाभ (PAT) का 30% या निवल मूल्य का 5% होना चाहिये,** जो भी अधिक हो।
  - ये दिशानिर्देश CPSE की उन सहायक कंपनियों पर भी लागू होंगे जिनमें मूल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की **हिस्सेदारी 51% से अधिक** है।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे CPSE जिनका बाज़ार मूल्य छह महीने से बुक वैल्यू से कम है और जिनकी नेटवर्थ **कम से कम 3,000 करोड़ रुपए** है, वे **शेयर बायबैक** पर विचार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे **बोनस शेयर** जारी कर सकते हैं, जब रिज़र्व उनकी चुकता इक्विटी से 20 गुना अधिक हो।
  - **शेयर बायबैक** किसी कंपनी द्वारा शेयर बाज़ार से अपने शेयरों का पुनः अधिग्रहण है।
  - **बोनस शेयर,** मौजूदा शेयरधारकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के दिये जाने वाले अतिरिक्त शेयर होते हैं, जो उनके वर्तमान में रखे गए शेयरों की मात्रा पर आधारित होते हैं।
- [DIPAM] केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विनिवेश और इक्विटी बिक्री सहित केंद्र सरकार के निवेशों का प्रबंधन करता है।

अधिक पढ़ें: [सार्वजनिक उद्यम विभाग]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/revised-dividend-guidelines-for-cpse